

आदेश - पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक-ता० से तक

जिला गढ़वा सं० PA सन् 2015-16

केस का प्रकार CNT Act की धारा 46 के तहत अनुमति की शर्तों के संकेतों पर विचार

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

7.5.15

आवेदक दानकर्ता चन्द्रिका सिंह पिता स्व० नारायण सिंह जाति खरवार, ग्राम सिखरी टोला अंधरी पो० तोरेलावा थाना + अंचल खरौली जिला गढ़वा राज्य भारतखण्ड ने आवेदन पत्र दे कर अपनी निम्नलिखित भूमि का दानग्राही श्री मोहनरायण सिंह पिता स्व० रामवृद्ध सिंह जाति खरवार ग्राम सिखरी टोला अंधरी पो० तोरेलावा थाना + अंचल - खरौली जिला गढ़वा राज्य भारतखण्ड के हकों का देवे हेतु अनुमति की मांग की है।

भूमि का विवरण

ग्रामस्थानां०	खाता	प्लॉट	रकबा	चौदवी
सिखरी	140	151	0.274	उत्तर- लीलमती देवी कच्ची रस्ता
21	140	171	0.03	उत्तर- पन्द्रेखा सिंह प० दानग्राहकी
	183	123	0.303	उत्तर- दानकर्ता द० कच्ची रस्ता
	243	112	0.53	उत्तर- चन्द्रिका सिंह प० दानग्राहकी
	299	4 1/2	0.37	उत्तर- जगमनी देवी कच्ची रस्ता
	243	155/7	0.05	उत्तर- उत्तर- पंडा नदी द० कच्ची रस्ता
	286	106	0.29	उत्तर- नगेश्वर सिंह द० नीज दानकर्ता
				उत्तर- कच्ची रस्ता प० रामलाल सिंह
				उत्तर- नीज दानकर्ता द० प्रभु सिंह
				उत्तर- जगमनी देवी प० लालेश्वर सिंह
				उत्तर- नीज दानकर्ता द० प्रभु सिंह नगे०
				उत्तर- जगमनी देवी प० लालेश्वर सिंह

आप ईस्तहार निर्गत करें एवं संबंधित अंचल अधिकारी से जांच प्रतिवेदन की मांग दिनांक 25-5-15 तक करें।

(Signature)
श्री सु० अ० सभा
नगर अंधरी

आदेश की क्रम सं० और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित

1

2

3

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, खरौंघी के पत्रांक 71 दिनांक 8-6-2015 से जाँच प्रतिवेदन खंआण इस्तदार की तामिला प्रति, प्रकाशन के पश्चात प्राप्त हुआ है, जिसका अवलोकन किया, अवलोकन से विदित होता है कि दानकर्ता एवं दानग्राही दोनों एक ही जाती खरवार के हैं एवं दोनों एक ही धाना के निवासी हैं। प्रस्तावित भूमि के खतियानी रैयत नारायण खरवार हैं एवं जिसका मांग, मांगपंजी II पर आवेदक चन्द्रिका खरवार के नाम से कायम है। दानकर्ता एवं खतियानी रैयत का सम्बन्ध पिता एवं पुत्र का है। प्रस्तावित भूमि का लगभग वर्ष 2012-13 तक सरकारी रजाना में जमा किया जा चुका है। दानकर्ता के पास दान करने के पश्चात् 1-84 1/2 एकड़ भूमि बचती है। दानकर्ता के भूमि दान से फलस्वरूप भूमिहीन श्री श्रेणी अन्तर्गत नहीं आते हैं। दान करने का उद्देश्य, पुढाप में सेवा सुशरसा हेतु किया जा रहा है। अचल अधिकारी द्वारा प्रस्तावित भूमि दान करने हेतु अनुमति की गई है।

आता इनके अनुमति के अलावा में आवेदक दानकर्ता श्री चन्द्रिका सिंह पिता स्व० नारायण सिंह सा० सिसरी धाना खरौंघी जिला गढ़वा के निम्नलिखित भूमि दानग्राही (1) मा० नारायण सिंह (2) क्लेवर सिंह दोनों के पिता स्व० रामचंद्र सिंह सा० सिसरी धाना खरौंघी जिला गढ़वा के हक में दान करने की अनुमति दी जाती है।

ग्राम+धाना	भूमि का विवरण			चौदरी
	खता	चौद	रकबा	
सिसरी	140	151	0-27 3/4	उत्तर-वीलावती देवी 40-कच्चीरना 40-चन्द्रिका सिंह 40-दानकर्ता
21	140	171	0-03 3/4	
	140	123	0-30 3/4	
	286	106	0-29 3/4	

आवेदक एवं उच्च निबंधक पदाधिकारी, नगर उचारी को सूचित करें।
 लेखा विभा/संस्थापित
 श्री सु० उप समाहता, नगर उचारी।
 श्री सुधार उप समाहता, नगर उचारी।